संख्या-1163/2026/2105/22-2-2025-17(625)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र प्रसाद गौड़ पुत्र श्री नान्हू सिंह गौड़, निवासी जनपद-सरगुजा (छत्तीसगढ़) की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-37920/प्रो0अनु0(2)-305/2026 (बैठक दिनांक 23.09.2025), दिनांक 30.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र प्रसाद गौड़ पुत्र श्री नान्हू सिंह गौड़, जो ग्राम-सुरहुल, थाना-बसन्तपुर, जनपद-सरगुजा (छत्तीसगढ़) का निवासी है। दिनांक 10.04.2003 को अभियुक्त ने रामेश्वर आयु 01 वर्ष के बच्चे को उठाकर व कुछ दूरी पर ले जाकर बलि देने की निगाह से नारियल छिलने वाले चाकू से बच्चे पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-54/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० सोनभद्र के आदेश दिनांक-12.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-19.03.2024 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.09.202**5** तक अपरिहार 19 वर्ष, 07 माह 04 दिन तथा सपरिहार 2**5** वर्ष, 05 माह, 13 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 11.09.202**5** तक बंदी की आयु लगभग 52 वर्ष है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध से समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण बना होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, मानसिक रूप से अपराधी प्रवृत्ति का होने, रिहाई का वादी पक्ष द्वारा पुरजोर विरोध किये जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अभिमत दिनाक 08.07.2025 में दण्डादेश का निलम्बन अथवा परिहार सरकार द्वारा स्व-विवेक में किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 10.04.2003 को अभियुक्त ने रामेश्वर आयु 01 वर्ष के बच्चे को उठाकर व कुछ दूरी पर ले जाकर बलि देने की निगाह से नारियल छिलने वाले चाकू से बच्चे पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है, स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति से प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, आयु कम होने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र प्रसाद गौड़ पुत्र नान्हू सिंह को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र प्रसाद गौड़ (बन्दी संख्या-799/24) पुत्र श्री नान्हू सिंह गौड़, निवासी जनपद-सरगुजा (छत्तीसगढ़) की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1163/2026/2105(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र/सरगुजा (छत्तीसगढ़)।
2- पुलिस आयुक्त, सोनभद्र/सरगुजा (छत्तीसगढ़)।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।